(वाद संख्या–**5589/16**)

24.07.2019

परिवादी श्री निवास राम उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

परिवादी का अपने परिवाद पत्र में कथन है कि उसे वर्ष–2011 में उसके दादा के नाम से चले आ रहे खतियानी जमीन का पर्चा काट्कर उसे तथा उसके भाई, राम निवास राम को 3–3 डी0 बंदोबस्त की गयी थी। उसे बंदोबस्त की गई जमीन पर सरकार द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है जिसके संबंध में उसने वरीय पदाधिकारियों के समक्ष शिकायत भी की थी, परन्तु उसकी शिकायत का कही कोई समाधान नहीं किया गया।

परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर अंचलाधिकारी, बिहियाँ, (भोजपुर) द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी श्री निवास राम सहित चार व्यक्तियों को वासगित पर्चा वाद सं0–09/2011–12से खेसरा सं0–753 में 3–3 डी0 भूमि का पर्चा दिया गया था जिसमें परिवादी श्री निवास राम को जो जमीन बन्दोबस्त की गयी थी। परिवादी को बंदोबस्त की गयी जमीन ग्रामीण सड़क के दक्षिण–पूरब अवस्थित है। स्थल पर अंचल अमीन, हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता व स्वयं अंचल अधिकारी, बिहियाँ की उपस्थिति में मापी करायी गयी। मापी से यह प्रतीत हुआ कि **ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जो सड़क का निर्माण किया गया है, उस सड़क से 6 इंच छोड़कर उत्तर–दक्षिण 62 फीट लम्बा और पूरब–पश्चिम 21 फीट चौड़ा कुल, 1302 वर्गफिट जमीन परिवादी के** दखल–कब्जा में है।

अतः उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्तुत मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक